न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 26 / 2024

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
पीरबक्स पुत्र अलीशेर जाति मुसलमान निवासी मेघवालो का वास, तह. व जिला बाड़मेर (मै. मदिना दूध डेयरी, चिंदरीयों की जाल, ढाणी बाजार बाडमेर का विक्रेता व मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कोशल कुमार जोशी, अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 02.04.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक **18.03.2024** को अप्रार्थी की दुकान **मदिना दूध डेयरी, चिंदरीयों की जाल, ढाणी बाजार बाडमेर** पर लगभग 40 लीटर विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 किलो गाय का दूध** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2509** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

BARMER

अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के वाहन से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **01.04.2024** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट अनुसार Milk Fat मानक स्तर न्यूनतम 3.2% के मुकाबले में 0.4% पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए **रूपये 25000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 02.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर